न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 129/2012

अपीलांटस
नारणाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट
निवासी जगमाल का तला (सेतराउ)
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेटस
1. गंगाराम पुत्र चेतनराम
2. गोमाराम पुत्र चेतनराम
   जाति जाट निवासी
   जगमाल का तला (सेतराउ)
   तहसील रामसर
3. तहसीलदार रामसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 21.12.2004 द्वारा तहसीलदार रामसर

उपस्थित– 1. अपीलांटस की ओर से श्री नृसिंह सोलंकी उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंटस संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंटस संख्या 03 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

आदेश दिनांक 21.03.2017

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 299, 300, 301 व 302 कुल रकबा 446 बीघा 07 विस्वा ग्राम जगमाल का तला (सेतराउ) तथा खसरा नंबर 55 रकबा 31 बीघा 08 विस्वा मौजा तामलीयार तहसील रामसर में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियॉ बनाई हुई है। रेस्पोडेंटस सं. 01 से 02 ने अपीलांट को धोखे में रखकर, अपीलांट के विधिक हिस्से की उपजाउ भूमि को हड़पने की नियत से मौजा जगमाल का तला व तामलीयार अवस्थित संयुक्त खातेदारी भूमियों का बंटवाड़ा बिना अपीलांट की सहमति एवं जानकारी के तहसीलदार रामसर से राजस्व अभियान 2004 के दौरान् दिनांक 21.14.2004 पारित करवाया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. वक्त बहस रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। न्यायालय समय समाप्ति तक अलग–अलग समय मे तीन बार आवाजे लगायी गई मगर रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 एवं इनके अधिवक्ता हाजिर नहीं आये फलस्वरूप रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया जाता है। पत्रावली अगस्त 2016 से बहस में होने एवं रेस्पोडेट संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता को बहस हेतु कई अवसर देने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेंट सख्या 03 की ओर से राजकीय अभिभाषक का तर्क हैं कि तहसीलदार रामसर द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर विभाजन आदेश पारित किया गया है, जो नियमानुसार सही एवं विधि सम्मत है।

4. हमने उभय पक्षो की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि तहसीलदार रामसर द्वारा अपीलांट की स्थाई रहवासी ढाणियों एवं चारे के बाड़ो को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के जरिये रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के हक में रख दिये गये, जिससे अपीलांट के विधिक हक एवं हित इत्यादि प्रभावित हो रहे है। विभाजन प्रस्ताव में बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं कब्जे काश्त अनुसार नहीं किया गया। सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त विभाजन आदेश का वास्तविक ज्ञान दिनांक 17.8.2012 को हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांट की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

5. हमने अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रामसर द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 21.12.2004 के विरूद्व पेश की है। अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 299, 300, 301 व 302 कुल रकबा 446 बीघा 07 विस्वा ग्राम जगमाल का तला (सेतराउ) तथा खसरा नंबर 55 रकबा 31 बीघा 08 विस्वा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

मौजा तामलीयार तहसील रामसर में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियॉ बनाई हुई है। पक्षकारान द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार रामसर के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। तहसीलदार रामसर द्वारा तथ्यो की पूर्ण जांच करते हुए पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर पेश विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जो नियमानुसार सही पाया गया।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2004 यथावत रखा जाता है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 21.3.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)